न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस

अपील संख्याः 03 / 2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021 / 11

1. सुगनाराम पुत्र श्री बिड़दाराम जाति जाट निवासी बीकासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र भंवरलाल ज़ाति संचेती निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. दिलीप कुमार पुत्र भंवरलाल जाति संचेती निवासी नोखा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार, नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री हरीश व्यास —अभिभाषक अपीलांट
श्री सीताराम बिश्नोई —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री जगदीश आचार्य —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

संभागीय आयुक्त बीकानेर

निर्णय

दिनांक 18.06.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 28.11.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि खसरा नंबर 124 / 1 नया खसरा नंबर 422 रोही मौजा बीकासर तहसील नोखा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के आदेश दिनांक 28. 11.2014 पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28. 11.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी तथा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील

अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 124/1 रोही मौजा बीकासर तहसील नोखा में स्थित है, जिसके नये ख.नं. 422 पैमूद हुए है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पेश कर कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि रोही मौजा बीकासर के ख.नं. 433 जो कि ख.नं. 422/1 के दक्षिण में स्थित है की 0.18 हैक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में अंकित नहीं कर ख.नं. 433 के नक्शे में 0.24 हैक्टेयर भूमि अंकित कर दी और मौके पर खसर नंबर 422/1 में 0.59 हैक्टेयर भूमि है एवं राजस्व रिकार्ड में 0.41 हैक्टेयर भूमि अंकित है। अतः मौके पर स्थित 0.18 हैक्टेयर भूमि को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। उपरोक्त वेग कथनों के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। पुराना खसरा नंबर 422/1 नया खसरा नंबर 124/1 अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के धारण की ख.नं. 433 में घटत–बढ़त करने से पूर्व अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार नोखा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। रेस्पोडेंट को धारा 136 के अंतर्गत अपीलाधीन अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं था अपितु इस हेतु रेस्पोडेन्ट को सिविल सूट करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

- R.R.T. 2021(2) पेज सं. 963
- R.R.T. 2015(1) पेज सं. 10
- Civil Court Cases 2021(4) पेज सं. 791
- Civil Court Cases 2022(2) पेज सं. 314

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित पक्षकारों को सुनकर एवं मौका स्थिति की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत पारित किया गया है। अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट को इस न्यायालय में अपील पेश करने की Locus standi नही है। उपखण्ड अधिकारी नोखा में राजस्व दावा हो रखा है। रेस्पोडेन्ट का खसरा अपीलांट के खसरें से दूर स्थित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2014 यथावत रखा जावे।

माननीय आयुक्त बीकानेर

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2014 पारित कर वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के विपरीत जाकर तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया, जबकि अपीलांट उक्त अपीलाधीन आदेश का हितबद्ध पक्षकार है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2014 निरस्त किया जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर